

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 12/19

तारीख दायर 29-5-19

1.

.....प्रार्थी

डालचंद शंकरदा
अहीर नि. झाणेली

बनाम्
धैरुशंकरदा शंकरदा भीलनि. झाणेली
मांगीलाल शंकरदा भील - 11-11
कैलाश शंकरदा मम्बालाल पावड
नि. चांदणी की खेडी
बरदा शंकरदा भवाना पावड
नि. गोपालनिवास

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 11-6-19

डालचंद अहीर
प्रार्थना पत्र ~~मांगीलाल शंकरदा~~ ने जरिये अभिभाषक श्री B.P. तिवारी एडवोकेट प्रस्तुत
कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम रामपुरिया हल्का झाणेली
तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 13 पर अंकित
आराजी संख्या 117/96 पर 2 बीघा 3 बिस्वा

स्थित है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का
आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की
बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 207 -207 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त
आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत्
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
भू-अभिलेख निरीक्षक (H.L.S.P.) को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।
पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500/- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस
अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया
जाकर मौजा ग्राम रामपुरिया हल्का झाणेली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में
खाता संख्या 13 पर अंकित आराजी संख्या आराजी संख्या 117/96

पर 2 बीघा 3 बिस्वा

बीघा की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं
पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार
बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ